न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 25/23
GCMS NO-2023/ 148 — सन् 2023

बउनवानीः— शम्भु पुत्र रामगोपाल जाति माली निवासी ग्राम एण्डवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. रामकिशन पुत्र रामगोपाल जाति माली निवासी एण्डा तहसील सवाईमाधोपुर
3. भोला पुत्र मांग्या जाति माली निवासी एण्डा तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 508 दिनांक 8.6.2015 वाके ग्राम एण्डवा तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्याम सुन्दर गुप्ता — वकील अपीलान्ट
2. श्री उमेश कुमार — वकील रेस्पो0 संख्या 2—3

=: निर्णय :— दिनांक 14.11.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 508 निर्णय दिनांक 8.6.2015 वाके ग्राम ऐण्डवा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। यह तर्क भी दिया आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 508 को तस्दीक करते समय अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया गया है। क्योकि आदेश जैर अपील अपीलान्ट के पिता रामगोपाल पुत्र गिरधारी माली निवासी ऐण्डवा के फोत होने पर उसकी विरासत का खोला गया है जिसमे अपीलान्ट के भाई रामकिशन व अपीलान्ट की मॉ पारी का नाम तो सही दर्ज कर दिया लेकिन अपीलान्ट का नाम शम्भू के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का नाम कभी रामस्वरूप नही होकर शम्भू रहा है कथन के समर्थन में आधार कार्ड, जनाधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड,जॉबकार्ड, आदि पेश किये गये। यह तर्क भी दिया कि तहसीलदार द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व रामगोपाल के वारिसान की जॉच नही की गयी है। अपीलान्ट अनपढ होने के कारण आदेश जैर अपील की जानकारी नही हो सकी। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 19.10.2023 को पटवारी हल्का के पास केसीसी की फाईल तैयार करवाने के लिए जाने पर अपीलान्ट का नाम गलत होने की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी द्वारा दी जाने पर [illegible] होने पर दिनांक 20.10.2023 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की जाकर [illegible] के अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट [illegible] की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:34 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय मृतक रामगोपाल के सभी वारिसान की जॉच नही की गयी है। क्योकि आदेश जैर अपील तस्दीक करते समय अपीलान्ट का नाम रामस्वरूप कर दिया जबकि अपीलान्ट का सही नाम शम्भू पुत्र रामगोपाल है। यदि आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का सही नाम कर दिया जाता है तो हम रेस्पो0 का किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नही होता है। इसलिए अपीलान्ट का नाम सही किये जाने में हम रेस्पो0 कोई आपत्ति नही है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि आदेश जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 508 जो कि अपीलान्ट के पिता रामगोपाल पुत्र गिरधारी माली के फोत होने पर उसकी विरासत का दिनांक 8.6.2015 को खोला गया है किन्तु नामा0 दर्ज फैसल करते समय मृतक रामगोपाल के विधिक वारिसानो के सही नाम की जॉच नही की गयी है। अतः मृतक रामगोपाल के वारिसान की विधिसम्मत जॉच कर सही नाम से इन्द्राज करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर से पुनः जॉच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 508 निर्णय दिनांक 8.6.2015) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक रामगोपाल पुत्र गिरधारी माली निवासी ऐण्डवा के सभी विधिक वारिसान के सही नाम की जॉच विधिसम्मत रूप से करते हुए विधिक वारिसान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner